



क्रमांक/शा-9/डे-एनयूएलएम/पीएम स्वनिधि/2020/11126

भोपाल, दिनांक 31-07-2020

// आदेश //

नगर पालिका परिषद् गढाकोटा जिला-सागर में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना की प्रगति अत्यंत कम पाई गई है। नगर पालिका परिषद् गढाकोटा में योजना अंतर्गत 4123 पथ विक्रेताओं के पंजीयन के विरुद्ध मात्र 109 ऋण प्रकरण ऑनलाइन आवेदित हुए हैं। उक्त कृत्य के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही के लिए उत्तरदायी पाया जाता है। श्री मनीष कुमार परते का उक्त कृत्य म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 92 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का नियम 3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः श्री मनीष कुमार परते, मुख्य नगर पालिका अधिकारी 'ग' श्रेणी को कार्य में लापरवाही तथा पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ से वंचित रखने को दृष्टिगत रखते हुए म. प्र. नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत निलंबित किया जाता है। निलंबन अविध में श्री मनीष कुमार परते को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी, जो नगर पालिका परिषद् गढाकोटा जिला-सागर द्वारा देय होगा। निलंबन अविध के दौरान श्री मनीष कुमार परते का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग, सागर रहेगा।

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)

आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 31-07-2020

क्रमांक/शा-9/डे-एनयूएलएम/पीएम स्वनिधि/2020/11127  
प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल, म.प्र.।
4. जिला कलेक्टर, जिला-सागर, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, जिला- सागर, म.प्र.।
6. जिला परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, सागर म.प्र.।

आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास

मध्यप्रदेश, भोपाल